राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5816 / 2005 / सवाईमाधोपुर

अर्जुनलाल पुत्र कोरया जाति मीना निवासी जस्टाना तहसील बौंली
जिला सवाईमाधोपुर

....अपीलांट

बनाम

1. बद्रीलाल
2. रतनलाल
3. धूमचन्द
4. सांवलराम
5. वीरसिंह
   पुत्रान अम्बालाल
6. किशोर पुत्र धूलचन्द
7. सीताराम पुत्र रतनलाल
8. धारासिंह पुत्र सांवलराम
   समस्त जाति मीना निवासी जस्टाना तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

...रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री विरेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री वी.पी.सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 04.12.2020

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 66 / 04 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–11–2005 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट / वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1946 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम जस्टाना वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23–9–2003 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध

प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25–3–2004 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसकी पालना में विचारण न्यायालय ने वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर कर एवं उभय पक्षकारान को सुनने के पश्चात निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–2005 द्वारा वादी का वाद पुनः खारिज कर दिया। विचारण के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–2005 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2005 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी कोरया की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी थी, जो कोरया की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र की हैसियत से अपीलांट की खातेदारी में संवत् 2014–2017 से दर्ज चली आ रही है, जिस पर वह काबिज काश्त है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने पर अपीलांट/वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोदपुत्र की घोषणा बाबत मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना मानकर तनकी संख्या 1 का निस्तारण गलत रूप से किया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह तथ्य पूर्णतया सिद्ध था कि कोरया सवंत् 2004 से वादग्रस्त आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् संवत् 2014 से अपीलांट/वादी दत्तक पुत्र की हैसियत से रिकार्डेड खातेदार दर्ज चला आ रहा है। इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दानों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि दत्तक पुत्र के संबंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वादी/अपीलांट दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी पर अपना विधिक कब्जा होना सिद्ध नहीं कर पाया है इसके विपरीत प्रतिवादी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रतिवादी/रेस्पो. का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना पूर्णतया सिद्ध है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलांट/वादी के वाद एवं अपील को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों

द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु वादी/अपीलांट के कोरया का दत्तक पुत्र होने का है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 इस आशय की कायम की कि–''आया वादी आराजी खसरा नंबर 1946 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम जस्टाना का खातेदार काश्तकार है जो कौरया का दत्तक पुत्र है'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को निर्णित करते हुए यह अंकित किया कि –''वादीगण द्वारा प्रलेखिय साक्ष्य प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–3 जमाबन्दी से यह प्रमाणित है कि वादी आराजी ख0नं0 1425 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है। लेकिन इसी तनकी में यह भी तय किया जाना है कि वादी कोरया का दत्तक पुत्र है। उक्त तथ्य मात्र सिविल न्यायालय ही तय कर सकते है। राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार उत्तराधिकार घोषणा हेतु निषेध है। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में आंशिक रूप से विनिश्चित की जाती है।''

8. विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 इस आशय की विचरित की कि– ''आया प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।''इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को निर्णित करते हुए विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया कि ''चूंकि वादी द्वारा वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। वादी ने बेदखली बाबत वाद पत्र में अनुतोष नहीं चाहा है। जबकि प्रतिवादीगण का आराजीयात मुतनाजा पर वाद दायरी से पूर्व का कब्जा व काश्त होना प्रदर्श ए–1 से प्रमाणित है। तथा साक्ष्य प्रतिवादीगण से भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त वाद दायरी से पूर्व का होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में वादी को कोई हक प्राप्त नहीं होता कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावे।''

9. इसी प्रकार तनकी संख्या 3 कि ''आया विवादित आराजी कौंरया की खातेदारी की है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज हैं इस कारण दावा वादी खारिज होने योग्य है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए यह अंकित किया कि– ''साक्ष्य पी.डबल्यू.1, पी. डबल्यू.2, पी.डबल्यू.3 ने अपने बयानात में यह अवश्य कहा कि कोरया की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का

वादी जायज वारिस है लेकिन किसी भी साक्ष्यी ने यह नहीं कहा कि आराजी ख0नं0 1425 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर वादी का कब्जा कास्त हो। वादी स्वयं ने भी अपने बयान में यह नहीं कहा कि विवादित खसरा नम्बर पर मै काश्त करता हूँ। इसके विपरीत डी.डबल्यू.1, धूलचन्द, डी.डबल्यू.2 रामलाल, डी.डबल्यू.3 मूलचन्द से यह प्रमाणित होता है कि आराजी ख0नं0 1425 रकबा 2 बीघा 5बिस्वा पर प्रतिवादीगण का कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2032 में ब्रदी पुत्र अम्बालाल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर गेहूँ जोत भी बता रखा है जो प्रदर्श ए–2 है। अतः प्रतिवादीगण का अराजीयात मुतनाजा पर कब्जा व काश्त होना प्रमाणित है।''

10. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक स्थिति एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का परीक्षण करने के उपरांत विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए वादी के वाद को अस्वीकार कर निरस्त किया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए अपीलांट/वादी की अपील को खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट/वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जिसके निस्तारण हेतु वादी का 'विधिक कब्जा' होना आवश्यक है। अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना सिद्ध नहीं कर पाया है, इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना सिद्ध किया है। ऐसी स्थिति में दोनों विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करने तथा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी की अपील खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णय व डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें हस्तक्षेप किया जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उप जिला कलक्टर, बौंली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 13–6–2005 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2005 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य